कार्यालय,

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई मण्डल,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक: 03/08/2021

-:आदेश पत्र:-

वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की नियमावली एवं अधिसूचना, नई दिल्ली द्वारा घोषित सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की सम्बद्धता सम्बद्धता निर्गत प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अवधित नई संस्थाओं की सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, स्थानान्तरण प्रस्ताव, पाठ्यक्रम वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4227-PRASAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNCH-HATIA SADAR, JAUNPUR-222001

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/ पीबीसी-आईए द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीबीसी-आईए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद विधिमान्यता नियमावली 2002, सम्बद्धता नियमावली 2016 एवं अन्य समिति नियमों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (शैक्षणिक शुल्क) विद्यार्थियों हेतु रु0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर लेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के शुल्क के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा दिये गये अन्य शर्तों का पालन करेगी, और अनुपालन कार्यवाही विभाग द्वारा आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की वसूली उसी आधार पर होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्थानों तथा उच्च संस्थानों, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाना) विधिमान्यता 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था की संबद्धता प्राविधिक परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों की ही प्रवेश किया जायेगा। नियमों के विरुद्ध पाए जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश संस्थान के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीबीसी-आईए से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सभी विधिमान्यता अधिनियम/नियमावली एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय पर निर्गत नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ परिषद द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता यदि भी भारतीय, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करती है तो इस संबंध में संस्था स्वयं उत्तरदायित्व वहन करेगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा

Principal
Prasad Institute of Technology
(Pharmacy)
Jaunpur

[illegible]

- [illegible], राजकीय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय या प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र प्राप्त होता है तथा उसमें मान्य के संबंध में यह, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अथवा निर्णय दिया जाता है तो तत्काल प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना का करनी होगी।
- ✓ विद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को राजकीय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व परिषद/कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा तथा अथवा उनके प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ [illegible] द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत अर्हतानुसार अभिलेख नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था की छात्र के वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की प्रोफाइल, पूरी फीस, स्टाफ, फीस-संरचना, पाठ्यक्रम, प्राप्त [illegible] अंक, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ छात्रों की निरापद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहनव्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ नियम रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि छात्रों से प्रवेशित संचालित पाठ्यक्रम की कक्षाएं चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये भौतिक, भूमि-भवन, प्रयोगशाला, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिवार को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की मान्यता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण रिपोर्ट यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य [illegible] (AICTE) के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ [illegible] अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का सम्पादन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3638-4005

दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि:

[illegible] PRASAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNCH HATIA SADAR, JAUNPUR-222001

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Principal
Prasad Institute of Technology
(Pharmacy)
Jaunpur

कार्यालय,
समिति, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्रावि०/परिषद् सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक: [illegible]-6-2020

-:कार्यालय ज्ञाप:-

[illegible] शासन [illegible] शिक्षा [illegible] एवं [illegible]/[illegible] प्राविधिक शिक्षा [illegible] नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु [illegible] [illegible] के अनुपालन [illegible] [illegible] 54-6-2020 प्राविधिक शिक्षा [illegible] [illegible] सम्बद्धता/[illegible] [illegible] हेतु [illegible] 54-6-2020 को प्राविधिक शिक्षा समिति, उ०प्र० लखनऊ की [illegible] के [illegible] गठित, [illegible] के [illegible] हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु [illegible] नई [illegible] की सम्बद्धता/पु० [illegible] सम्बन्धी की सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गठित समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु [illegible] [illegible] निम्न निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुपालन में सम्बद्धता समिति की बैठक के [illegible] में किसान इन्टर कॉलेज [illegible] [illegible] पाठ्यक्रम [illegible] [illegible] के सम्बन्ध [illegible] [illegible] सम्बन्धी [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

पृष्ठांकन– [illegible]/[illegible]/[illegible]/ [illegible] [illegible]: [illegible]

प्रतिलिपि–[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संख्या: [illegible] नवम्बर, दिनांक: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

Principal
Prasad Institute of Technology
(Pharmacy)
Jaunpur